



सूचना | NOTICE

यह अधिसूचित किया जाता है कि जम्मू और कश्मीर के स्थानीय छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा केवल उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो संस्थान से **25 किलोमीटर** या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। संस्थान के **25 किलोमीटर** के दायरे में रहने वाले छात्र छात्रावास आवास के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें डे स्कॉलर माना जाएगा।

यदि 25 किलोमीटर के भीतर रहने वाले किसी छात्र को गलती से छात्रावास का कमरा आवंटित कर दिया जाता है, तो आवंटन सत्यापन के अधीन होगा। यदि सत्यापन के बाद पाया जाता है कि छात्र दूरी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी छात्रावास सुविधा **तुरंत रद्द कर दी जाएगी**।

यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है कि छात्रावास सुविधाओं को उन लोगों के लिए प्राथमिकता दी जाए जिन्हें वास्तव में आवास की आवश्यकता है। सभी संबंधित छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस निर्णय पर ध्यान दें और तदनुसार आवश्यक व्यवस्था करें।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

It is hereby notified that the hostel facility for local students from Jammu & Kashmir will only be provided to those who reside **25-kilometers or more** away from the institute. Students residing within a **25-kilometer** radius of the institute will not be eligible for hostel accommodation and will be treated as day scholars.

In the event that any student residing within **25 kilometers** is mistakenly allotted a hostel room, the allotment will be subject to verification. If, upon verification, it is found that the student does not meet the distance criteria, their hostel facility will be **immediately canceled**.

This policy is implemented to ensure that hostel facilities are prioritized for those who are in genuine need of accommodation. All concerned students are advised to take note of this decision and make necessary arrangements accordingly.

Thank you for your cooperation.

डीन छात्र कल्याण
Dean Students Welfare

16/08/24

नं./No: NIT/DSW/2024/534

दिनांक/Dated: 16-08-2024

Copy to;

- निदेशक के विशेष सचिव कृपया निदेशक की जानकारी के लिए।
Special Secretary to Director for information of the Director please.
- कृपया रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए/P.S to Registrar for information of the Registrar.
- सभी डीन, एचओडी, एचओसी सूचना एवं प्रसार हेतु। All Deans, HoDs, HoCs for information and circulation.
- अध्यक्ष सीएससी को इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
Chairman CSC for uploading this notice on the Institute Website.
- समन्वयक ई-समर्थ/ईआरपी की जानकारी हेतु। Coordinator E-Samarth/ERP for information.
- सभी नोटिस बोर्ड | All notice boards.